अध्याय-VI: राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी राजस्व में, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत आरोपित या आदेशित भुगतान, फीस, कर, जुर्माना या जब्ती की प्राप्तियाँ समाविष्ट है। इसमें मदिरा, भांग एवं चिरे हुये डोडा-पोस्त के विनिर्माण, अधिग्रहण एवं बिक्री से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित है। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, सरकार को आवधिक आबकारी नीति बनाने के लिये अधिकृत करता है।

6.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

राज्य आबकारी विभाग की वर्ष 2008-09 से 2012-13 की प्राप्तियों के साथ इसी अवधि की राज्य की कुल प्राप्तियां निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गयी है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	अन्तर आधिक्य(+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	3 का 6 से प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008-09	2,025	2,169.90	(+) 144.90	(+) 7.16	14,943.75	14.52
2009-10	2,200	2,300.48	(+) 100.48	(+) 4.57	16,414.27	14.02
2010-11	2,460	2,861.41	(+) 401.41	(+) 16.32	20,758.12	13.78
2011-12	2,950	3,287.05	(+) 337.05	(+) 11.43	25,377.05	12.95
2012-13	3,850	3,987.83	(+) 137.83	(+) 3.58	30,502.65	13.07

यद्यपि, वास्तविक रूप में राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियों में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन राज्य आबकारी विभाग के राजस्व की, राज्य में संग्रहित कुल कर राजस्व से प्रतिशतता में वर्ष 2008-09 की तुलना में गिरावट रही। 2008-09 के दौरान राज्य आबकारी शुल्क की प्राप्तियाँ राज्य के कुल कर राजस्व की 14.52 प्रतिशत थी। वर्ष 2012-13 में, ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 13.07 प्रतिशत रही।

6.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया ₹ 219.12 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 203.36 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। यह इंगित करता है कि विभाग द्वारा बकाया वसूली हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। निम्नलिखित सारणी में 31 मार्च 2013 को राजस्व की बकाया स्थिति दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	1 अप्रेल 2012 को कुल बकाया*	वर्ष 2012-13 में की गई वसूली	31 मार्च 2013 को बकाया वसूली
2007-08 तक	205.14	1.78	203.36
2008-09	0.37	0.07	0.30
2009-10	0.28	0.03	0.25
2010-11	9.95	8.24	1.71
2011-12	19.74	6.24	13.50
योग	**235.48**	**16.36**	**219.12**

* न्यायालय प्रकरणों व लेखापरीक्षा आक्षेपों आदि के कारण अतिरिक्त मांग जो पिछले वर्षों से सम्बन्धित थी किन्तु इस वित्तीय वर्ष 2012-13 में मांगी गई।

पांच वर्षों से अधिक बकाया ₹ 203.36 करोड़ की वसूली की सम्भावना कम है। यह अनुशंषा की जाती है कि राज्य सरकार बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु उचित प्रयास करें।

6.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ समान अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सकल संग्रहण से सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	सकल संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1	2008-09	2,169.90	64.46	2.97	3.66
2	2009-10	2,300.48	85.74	3.73	3.64
3	2010-11	2,861.45	87.45	3.06	3.05
4	2011-12	3,287.05	82.92	2.52	2.98
5	2012-13	3,987.73	82.66	2.07	उपलब्ध नहीं

सकल संग्रहण पर लागत प्रतिशतता वर्ष 2008-09 तथा 2011-12 के दौरान अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से कम रही, किन्तु वर्ष 2009-10 व 2010-11 में अंशत: बढ़ोतरी देखी गयी।

6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

गत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा 15 अनुच्छेदों में कर के अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लगाना, कर की गलत संगणना आदि के प्रकरण ध्यान में लाये जिनमें सन्निहित राशि ₹ 86.42 करोड़ थी। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 6.14 करोड़ के 11 अनुच्छेदों को पूर्णत:/अंशत: स्वीकार किया तथा 8 अनुच्छेदों में केवल ₹ 3.38 करोड़ वसूल (दिसम्बर 2013) किये जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	अनुच्छेदों की संख्या	राशि
2007-08	4	29.18	4	0.96	4	0.95
2008-09	4	45.44	2	0.42	2	0.42
2009-10	2	1.88	-	0.09	-	0.09
2010-11	1	7.91	1	2.67	1	1.85
2011-12	4	2.01	4	2.00	1	0.07
योग	**15**	**86.42**	**11**	**6.14**	**8**	**3.38**

विभाग द्वारा स्वीकार की गयी राशि में से 55.05 प्रतिशत की वसूली की जा चुकी है।

सरकार निर्देश जारी कर, विभाग को विशेषत: उन मामलों में जहाँ विभाग द्वारा पहले से ही राशि स्वीकार कर ली गयी हो, प्राथमिकता के आधार पर वसूली हेतु कहना चाहिए।

6.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली

राज्य आबकारी विभाग में वित्तीय सलाहकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। विभाग में दो आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत है जिनके प्रभारी सहायक लेखाधिकारी होते है। विभाग द्वारा वर्ष के दौरान कौनसी इकाईयों की लेखापरीक्षा की जानी है, को दर्शाते हुए कोई लेखापरीक्षा योजना तैयार नहीं की गई।

विगत पाँच वर्षो की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	वर्ष के दौरान शामिल की गई इकाइयां	कुल इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों का प्रतिशत
2008-09	77	40	117	29	88	75
2009-10	88	40	128	58	70	55
2010-11	70	40	110	83	27	25
2011-12	27	40	67	60	7	10
2012-13	7	41	48	41	7	15

यह भी देखा गया कि वर्ष 2012-13 के अन्त तक 937 अनुच्छेद बकाया थे, जिनमें 242 अनुच्छेद पाँच वर्षो से अधिक से बकाया थे। वर्षवार आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2007-08 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
अनुच्छेद	242	74	98	222	301	-	937

इस प्रकार अत्यधिक बकाया अनुच्छेदों के रहते आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य विफल रहा।

अधिनियम एवं नियमों की अनुपालना कराने एवं राजस्व की छीजत रोकने हेतु सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए। आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग को उचित निर्देश भी जारी किये जाने चाहिए।

6.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 20 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जाँच में अवसूली/कम वसूली/आबकारी शुल्क तथा अनुज्ञापत्र शुल्क की हानि एवं अन्य अनियमितताओं के ₹ 20.15 करोड़ राशि के 1,151 प्रकरण ध्यान में आये, जो कि निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	569	14.31
2.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	162	4.95
3.	अन्य अनियमितताएँ	420	0.89
योग		1,151	20.15

वर्ष 2012-13 के दौरान विभाग ने 891 प्रकरणों में ₹ 28.59 करोड़ की अनियमितताएँ स्वीकार की। जिसमें ₹ 6.03 करोड़ राशि के 487 प्रकरण, वर्ष 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे, शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने 500 प्रकरणों में ₹ 22.63 करोड़ की वसूली की जिनमें राशि ₹ 0.08 करोड़ के 102 प्रकरण वर्ष 2012-13 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

एक प्रकरण में विभाग/सरकार को ड्राफ्ट पैरा जारी किये जाने के पश्चात विभाग द्वारा राशि ₹ 50.30 लाख की पूर्ण वसूली की गयी।

कुछ निदर्शी टिप्पणियां जिनमें राशि ₹ 8.08 करोड़ सन्निहित थी अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायी गई है।

6.8 आबकारी निरोधक दल की कार्यप्रणाली

6.8.1 परिचय

राजस्थान आबकारी विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, राजस्थान आबकारी (आर.ई.) अधिनियम, 1950 और स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.) अधिनियम, 1985 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम करना है। आबकारी निरोधक दल (ई.पी.एफ.), अवैध मदिरा और मादक पदार्थों के गैर-कानूनी उत्पादन की रोकथाम एवं इनकी बिक्री, भण्डारण और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए छापे, गश्त, पुलिस और विभाग के वृत्त निरीक्षकों के साथ संयुक्त कार्यवाही की योजना और संचालन करना ई.पी.एफ. के मुख्य कार्यों में सम्मिलित हैं।

आबकारी निरोधक दल का सम्पूर्ण नियंत्रण आबकारी आयुक्त (ई.सी.) के अधीन है, जिन्हें अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (ई.पी.एफ.) द्वारा सहयोग किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई.पी.एफ.), उपायुक्त (ई.पी.एफ.), 8 जोन[1] आबकारी अधिकारी (ई.ओज.), 34 सहायक आबकारी अधिकारी (ए.ई.ओज.) एवं 206 प्रहराधिकारी (पी.ओज.) है। कुल 150 ई.पी.एफ. स्टेशन एवं 30 चैक पोस्ट स्थापित है। प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन एवं चैक पोस्ट पर 1 जमादार तथा 10 सिपाहियों/वाहन चालक के पद स्वीकृत हैं।

6.8.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

लेखापरीक्षा ने 7 जोन[2] के 17 ए.ई.ओज. के अधीन आने वाले 52 ई.पी.एफ. स्टेशनों के वर्ष 2010-12 के लेखों की मापक जांच की। ई.पी.एफ. की कार्यकुशलता तथा दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मापक जांच की गई

---

1 अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर।

2 **अजमेर जोन-** अजमेर (अजमेर दक्षिण, ब्यावर और केकड़ी ई.पी.एफ. स्टेशन), भीलवाड़ा (भीलवाड़ा शहर, भीलवाड़ा ग्रामीण और माण्डलगढ़ ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा टोंक (टोंक शहर, देवली और मालपुरा ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

भरतपुर जोन- भरतपुर (भरतपुर शहर, भरतपुर ग्रामीण, डीग और कामां ई.पी.एफ. स्टेशन), धौलपुर (बाड़ी और धौलपुर शहर ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा करौली (हिन्डोन शहर, कैला देवी, करौली और टोड़ाभीम ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

बीकानेर जोन- बीकानेर (बीकानेर ग्रामीण, लूणकरणसर और नौखा ई.पी.एफ. स्टेशन), हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़, नोहर और संगरिया ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा श्रीगंगानगर (अनूपगढ़, श्रीगंगानगर ग्रामीण और श्रीकरनपुर ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

जयपुर शहर जोन- आदर्श नगर, अशोक नगर और मानसरोवर दक्षिण ई.पी.एफ. स्टेशन।

जयपुर ग्रामीण जोन- चौमू, दूदू और कोटपुतली ई.पी.एफ. स्टेशन।

जोधपुर जोन- जोधपुर (फलोदी, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा सिरोही (आबू रोड़, रेवदर और सिरोही ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

कोटा जोन- बारां (बारां, छबड़ा और शाहबाद ई.पी.एफ. स्टेशन) बून्दी (बून्दी, लाखेरी और नैनवा ई.पी.एफ. स्टेशन), झालावाड़ (भवानीमण्डी, इकलेरा और झालावाड़ ई.पी.एफ. स्टेशन) तथा कोटा (गुमानपुरा और रामगंजमण्डी ई.पी.एफ. स्टेशन) जिले।

कि मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण पर नियंत्रण, आर.ई. अधिनियम 1950, एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 एवं उनके अधीन बनाये गए नियमों, आबकारी नियमावली तथा राज्य आबकारी नीति के अनुसार गश्त, छापे एवं प्रकरणों के सुराग आदि के द्वारा किया जा रहा है।

6.8.3 ई.पी.एफ. द्वारा जब्त अवैध मादक पदार्थ

विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-12 के दौरान प्रहराधिकारियों एवं आबकारी निरीक्षकों द्वारा मारे गये छापों में 1.24 लाख बोतल अवैध मदिरा, 41.48 लाख लीटर वाश, 0.79 लाख लीटर स्पिरिट, 7.41 लाख बोतल भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.), 1.84 लाख बोतल देशी मदिरा (दे.म.), 2.78 लाख बीयर की बोतलें एवं 35,709 किलोग्राम चिरा हुआ डोडा पोस्त (एल.पी.एच.) जब्त किया गया था। विभाग द्वारा बड़ी मात्रा में वाश एवं स्पिरिट की जब्ती से प्रकट होता है कि राज्य में अवैध मदिरा आसवन का कार्य बहुत फैला हुआ है।

यह भी देखा गया कि राज्य पुलिस विभाग ने वर्ष 2010 एवं 2011 के दौरान 2.39 लाख किलोग्राम एल.पी.एच., 1,375 किलोग्राम अफीम एवं 95 किलोग्राम अन्य मादक नशीले पदार्थ जब्त किये। नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के वार्षिक प्रतिवेदन 2011 में बताया गया कि भारत में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार का प्रमुख कारण वैध स्त्रोत से विचलन एवं अवैध उत्पादन है।

राज्य में चिरे हुए डोडा पोस्त के व्यापक अवैध व्यापार से सम्बन्धित एक समान प्रकृति का आक्षेप 'चिरे हुए डोडा पोस्त के विक्रय एवं उपभोग से प्राप्तियां' वर्ष मार्च 2012 की समाप्ति के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में शामिल किया गया था।

यद्यपि, ई.पी.एफ. के कार्यों में अवैध मदिरा, अफीम तथा अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं भण्डारण, तस्करी तथा अवैध आसवन को रोकना सम्मिलित था, तथापि, यह इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने में विफल रहा। कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है:

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

6.8.4 ई.पी.एफ. स्टेशनों की दक्षता

प्रहराधिकारी ई.पी.एफ. स्टेशन का मुखिया होता है और उसे अपने क्षेत्राधिकार में अफीम और भांग के पौधों की अवैध खेती एवं तस्करी तथा अवैध आसवन को रोकना होता है।

6.8.4.1 प्रहराधिकारियों द्वारा नियमित गश्त

आबकारी नियमावली के पैरा संख्या 23.7 के अनुसार प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन के प्रहराधिकारी को प्रत्येक माह में कम से कम 15 दौरे दिन के समय एवं 15 दौरे रात्रि के समय करने होते है। प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन पर संधारित मूवमेन्ट रजिस्टर में प्रहराधिकारी के दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रत्येक मूवमेन्ट का लेखांकन, स्टॉफ के पूर्ण विवरण, बाहर जाने और आने का समय, उपयोग में लिये गये वाहन और भ्रमण के उद्देश्य सहित अंकित करना होता है।

चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के मूवमेन्ट रजिस्टर तथा वाहनों की लॉग-बुक की मापक जांच में पाया गया कि:

- प्रत्येक प्रहराधिकारी द्वारा दिन के समय 15 गश्त के आवश्यक मानक पूर्ण किये गये थे लेकिन रात्रि के समय 15 गश्त पूर्ण नहीं की गई थी। यद्यपि, मूवमेन्ट रजिस्टर में गश्त की प्रविष्टियाँ की गई थी, तथापि, गश्त के दौरान की गई गतिविधियों का लेखांकन मूवमेन्ट रजिस्टर में नहीं किया गया था। इसके अभाव में वास्तव में गश्त किये बिना ही मूवमेन्ट रजिस्टर में प्रविष्टियाँ किये जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

- तीन ई.पी.एफ. स्टेशनों (अजमेर ग्रामीण, केकड़ी और छबड़ा) में 11 कार्मिक जो कि अवकाश अथवा कार्य से अनुपस्थित थे, को मूवमेन्ट रजिस्टर में 50 अवसरों पर गश्ती दल में शामिल होना बताया गया था।

- तीन ई.पी.एफ. स्टेशनों (अजमेर ग्रामीण, नोहर और श्रीगंगानगर) के वाहनों, जिनकी प्रविष्टियाँ मूवमेन्ट रजिस्टर में की गई थी, वे गश्त की उन तिथियों पर (वाहन की लॉग-बुक के अनुसार) कार्यशील नहीं थे अथवा दूसरे कार्य पर लगे हुए थे।

- दो ई.पी.एफ. स्टेशनों (अजमेर ग्रामीण और श्रीगंगानगर) के वाहनों को लॉग-बुक में गश्त पर काम में लिया जाना दर्शाया गया था लेकिन मूवमेन्ट रजिस्टर में इस प्रकार की गश्त किये जाने की कोई प्रविष्टि नहीं थी।

- सहायक आबकारी अधिकारी, बीकानेर और कोटा के तीन ई.पी.एफ. स्टेशनों पर आवश्यक स्टॉफ के पदस्थापन के बावजूद भी वर्ष 2011-12 के नौ माह के दौरान कोई भी गश्त नहीं की गई थी। यद्यपि, इस प्रकार की कोई गश्त नहीं करने के तथ्य को मासिक प्रतिवेदनों के माध्यम से सहायक आबकारी अधिकारी और आबकारी अधिकारी को सूचित किया गया था, उच्च प्राधिकारियों द्वारा इसका कारण जानने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उपरोक्त टिप्पणियों से स्पष्ट है कि स्टॉफ को गश्त में व्यस्त दर्शाने और वाहनों के न्यूनतम निर्धारित माइलेज को पूर्ण उपयोगित दिखाने के लिये मूवमेन्ट रजिस्टर और वाहनों की लॉग-बुक में गश्त की गलत प्रविष्टियाँ की गई थी। इस प्रकार के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता एवं वास्तविकता की जांच हेतु कोई नियन्त्रण क्रियाविधि नहीं थी।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मूवमेन्ट रजिस्टर और लॉग-बुक को नियमित रूप से सत्यापित किया जाये ताकि इस प्रकार के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की वास्तविकता सुनिश्चित की जा सके।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.2 अभिलेखों का त्रुटिपूर्ण संधारण

आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 9 मई 2011 के अनुसार, प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन को 11 पंजिका (ई.पी.एफ.सी-1 से ई.पी.एफ.सी-11 प्रारूप में) संधारित करने है और उनमें आवश्यक प्रविष्टियाँ/आवश्यक कार्यवाही निश्चित रूप से करनी है। सहायक आबकारी अधिकारी और आबकारी अधिकारी कार्यालय भी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन के लिए आठ पंजिका (ई.पी.एफ.सी.-4 से ई.पी.एफ.सी.-11 प्रारूप में) रखते है।

ई.पी.एफ.सी. रजिस्टरों की मापक जांच के दौरान, यह ध्यान में आया कि चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों, सहायक आबकारी अधिकारी और आबकारी अधिकारी कार्यालयों में, ई.पी.एफ.सी.-1 एवं ई.पी.एफ.सी.-2 रजिस्टरों के अलावा अन्य कोई रजिस्टर निर्धारित तरीके से संधारित नहीं किया जा रहा था। यह देखा गया कि ई.पी.एफ. स्टेशनों का अधिकतम स्टॉफ सेवानिवृत्त फौजियों का था, जिन्हें ई.पी.एफ. स्टेशन की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप ई.पी.एफ.सी. प्रारूपों के अधिकांश कॉलम या तो खाली थे या उनमें अशुद्ध प्रविष्टियाँ की गई थी।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.3 ई.पी.एफ. स्टेशनों के प्रहराधिकारियों द्वारा छापे की कार्यवाही

निदेशक प्रवर्तन के आदेश (30 अप्रेल 2009) के अनुसार प्रत्येक प्रहराधिकारी प्रत्येक माह संवेदनशील/अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में कम से कम 20 छापे मारेगा और अधिकतम भारत निर्मित विदेशी मदिरा/देशी मदिरा/अवैध मदिरा जब्त करने का प्रयास करेगा।

- चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों की मूवमेन्ट रजिस्टरों की मापक जांच में प्रकट हुआ कि मूवमेन्ट रजिस्टरों में दर्ज गश्त और छापों में कोई अन्तर नहीं था। ई.पी.एफ. स्टेशनों के कार्मिकों द्वारा गश्त और छापों को एक दूसरे के रूप में दर्शाया गया था और मूवमेन्ट रजिस्टर में की गयी सभी प्रविष्टियों को ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा की गयी गश्त के रूप में मासिक प्रतिवेदनों में उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। मूवमेन्ट रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों और उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदनों की शुद्धता एवं वास्तविकता की जांच करने हेतु कोई नियन्त्रण क्रियाविधि नहीं थी।

- विभाग द्वारा राज्य में अवैध मदिरा के उत्पादन, संग्रहण एवं विक्रय के 265 संवेदनशील स्थानों की पहचान कर उन्हें अपनी वेबसाईट पर अपलोड किया था। यह देखा गया कि कोटा जोन में दो वर्षो के दौरान दर्ज 809 प्रकरणों में से मात्र 17 प्रकरण ही संवेदनशील क्षेत्रों में दर्ज किये गये थे। इसके अलावा, विभाग द्वारा बारां जिले के 6 गांव और बून्दी जिले के 12 गांव की पहचान संवेदनशील क्षेत्र के रूप में होने के बावजूद भी बारां जिले के 2 ई.पी.एफ. स्टेशनों (बारां और शाहबाद) तथा बून्दी जिले के 2 ई.पी.एफ. स्टेशनों (बून्दी और नैनवा) के प्रहराधिकारियों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में एक भी केस नहीं पकड़ा जा सका।

यह भी देखा गया कि विभाग द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों की सूची को समय-समय पर अद्यतन नहीं किया गया था। मासिक प्रतिवेदन यह इंगित करते हैं कि इन पहचाने गये क्षेत्रों में निरन्तर गश्त की गई और अवैध मदिरा की बिक्री से सम्बन्धित कोई प्रकरण भी नहीं पाया गया। तथापि, ई.पी.एफ. स्टेशनों और विभाग द्वारा इन क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्रों की सूची से हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.4 प्रकरण पंजीकरण

प्रवर्तन निदेशक, आबकारी विभाग, राजस्थान के आदेश (क्र.सं. 4.9) दिनांक 30 अप्रेल 2009 के अनुसार ई.पी.एफ. के प्रत्येक प्रहराधिकारी को प्रतिमाह 10 केस दर्ज करने थे।

इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त राजस्थान के आदेश दिनांक 26 नवम्बर 2010 के अनुसार आबकारी वृत्तों और ई.पी.एफ. स्टेशनों पर दर्ज प्रकरणों को दो श्रेणियों यथा सामान्य प्रतिवेदन प्रकरण तथा विशेष प्रतिवेदन (एस.आर.) प्रकरण में वर्गीकृत किया गया था। मादक पदार्थों जैसे कि भा.नि.वि.म./दे.म./अवैध मदिरा की 50 लीटर से अधिक तथा बीयर की 96 बोतलों से अधिक जब्ती को एस.आर. प्रकरणों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।

जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया, ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा गश्त और छापों की नियमित कार्यवाही नहीं की गई जो कि राज्य में अवैध मदिरा के आसवन, बिक्री तथा तस्करी के प्रकरणों की खोज एवं पंजीकरण के प्रति कमजोर निष्पादन को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों का वर्णन आगामी अनुच्छेदों में किया गया है:

- वर्ष 2010-12 के दौरान 5 सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों के अधीनस्थ 16 ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा दर्ज प्रकरणों और जब्त मादक पदार्थों

का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय का नाम (ई.पी.एफ.स्टेशनों की संख्या)	जब्ती	अवैध/ हथकड़ मदिरा	निर्धारित मात्रा से अधिक मदिरा रखना	दूसरे राज्यों की मदिरा रखना	वाश/स्प्रीट/ भांग	अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन
1	भरतपुर (4)	प्रकरणों की संख्या	47	37	41	6	2
		जब्त मात्रा	418.70 बी.एल.	3873.98 बी.एल.	363.00 बी.एल.	4200 बी.एल. वाश एवं 2.6 कि.ग्रा. भांग	–
2	धौलपुर (2)	प्रकरणों की संख्या	35	14	16	–	–
		जब्त मात्रा	218.50 बी.एल.	117.57 बी.एल.	115.11 बी.एल.	–	–
3	करौली (4)	प्रकरणों की संख्या	3	24	17	–	2
		जब्त मात्रा	16.00 बी.एल.	1341.30 बी.एल.	217.39 बी.एल.	–	–
4	जयपुर शहर (3)	प्रकरणों की संख्या	398	46	64	–	1
		जब्त मात्रा	2031.50 बी.एल.	8058.59 बी.एल.	20375.61 बी.एल.	–	–
5	जयपुर ग्रामीण (3)	प्रकरणों की संख्या	156	55	62	3	5
		जब्त मात्रा	667.75 बी.एल.	4511.43 बी.एल.	43877.04 बी.एल.	48.5 टन वाश एवं 10800 बी.एल. स्प्रीट	–
	योग (16 ई.पी.एफ. स्टेशन)	**प्रकरणों की संख्या**	639	176	200	9	10
		जब्त मात्रा	3352.45 बी.एल.	17902.87 बी.एल.	64948.15 बी.एल.	52.7 टन वाश, 10,800 बी.एल. स्प्रीट एवं 2.6 कि.ग्रा. भांग	–
	प्रतिशत	**प्रकरणों की संख्या**	61.80	17.02	19.34	0.87	0.97
		जब्त मात्रा	3.89	20.77	75.34	–	–

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि अवैध मदिरा सम्बन्धी पंजीकृत प्रकरणों की संख्या अधिकतम (कुल प्रकरणों का 61.80 प्रतिशत था) थी जबकि इन प्रकरणों में जब्त की गई मात्रा बहुत कम थी (कुल जब्ती का 3.89 प्रतिशत)।

- चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों के यहां पंजीकृत प्रकरणों के विश्लेषण से प्रकट होता है कि इन स्टेशनों द्वारा पंजीकृत लगभग 80 प्रतिशत प्रकरण अवैध

मदिरा के रखने एवं इनकी बिक्री से सम्बन्धित थे। शेष रहे प्रकरण अन्य राज्यों की मदिरा के विक्रय से सम्बन्धित थे।

- केवल 4 ई.पी.एफ. स्टेशनों[3] के प्रहराधिकारियों द्वारा ही प्रकरणों की पकड़ एवं पंजीकरण के अपने लक्ष्य, अर्थात 120 प्रकरण प्रतिवर्ष, को प्राप्त किया जा सका। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2010-11 के दौरान 9 ई.पी.एफ. स्टेशनों[4] तथा वर्ष 2011-12 के दौरान 12 ई.पी.एफ. स्टेशनों[5] द्वारा प्रतिमाह एक प्रकरण भी नहीं पकड़ा जा सका। वर्ष 2010-11 के दौरान इकलेरा ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा एक भी प्रकरण नहीं पकड़ा गया।
- सहायक आबकारी अधिकारी बीकानेर द्वारा संधारित प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) पत्रावलियों की समीक्षा में यह देखा गया कि 4 ई.पी.एफ. स्टेशनों की 11 एफ.आई.आर. (बीकानेर ग्रामीण-5, खाजूवाला-1, लूणकरणसर-4 और नोखा-1) को प्रहराधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किया गया था और सहायक आबकारी अधिकारी बीकानेर द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिया गया। यह दर्शाता है कि एफ.आई.आर. सावधानीपूर्वक तैयार नहीं की गई और सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा उन्हें बिना जांच के स्वीकार किया गया।
- वर्ष 2010-12 की अवधि में दर्ज कुल प्रकरणों की तुलना में एस.आर. प्रकरणों का प्रतिशत 1.64 और 13.88 के मध्य था, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

चयनित का नाम एवं संख्या			कुल पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	एस.आर. प्रकरणों की संख्या	एस.आर. प्रकरणों की प्रतिशतता
जोन	सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय	ई.पी.एफ. स्टेशन			
अजमेर	3	9	1,050	18	1.71
भरतपुर	3	10	244	4	1.64
बीकानेर	3	9	1,384	77	5.56
जयपुर शहर	1	3	509	16	3.14
जयपुर ग्रामीण	1	3	281	39	13.88
जोधपुर	2	6	821	68	8.28
कोटा	4	12	809	20	2.47
योग	**17**	**52**	**5,098**	**242**	**4.75**

प्रकरण विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

[3] वर्ष 2010-11 के दौरान हनुमानगढ़, संगरिया, आबूरोड़ एवं मानसरोवर दक्षिण ई.पी.एफ. स्टेशन; वर्ष 2011-12 के दौरान हनुमानगढ़ अनूपगढ़, आबूरोड़ एवं मानसरोवर दक्षिण ई.पी.एफ. स्टेशन।

[4] रेवदर, बारॉ, लाखेरी, धौलपुर शहर, कामॉ, करौली, कैला देवी, हिन्डोन सिटी एवं टोड़ाभीम ई.पी.एफ. स्टेशन।

[5] बीकानेर ग्रामीण, लूणकरणसर, रेवदर, बारॉ, शाहबाद, नैनवा, लाखेरी, इकलेरा, कामॉ, कैला देवी, हिन्डोन सिटी एवं टोड़ाभीम ई.पी.एफ. स्टेशन।

6.8.4.5 प्रकरणों पर बाद की कार्यवाही

आर.ई अधिनियम, 1950 की धारा 67(2) के अनुसार, इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध दर्ज होने की तिथि से एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा सिवाय राज्य सरकार की विशेष अनुमति के कोई संज्ञान नहीं लिया जावेगा। भारतीय दण्ड प्रक्रिया (सी.आर.पी.सी.) की धारा 173(2) के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा अनुसंधान पूर्ण होने पर सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध का संज्ञान लेने के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

सी.आर.पी.सी. की धारा 173(8) के अनुसार, उप धारा (2) में वर्णित प्रतिवेदन मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने के पश्चात किसी अपराध के सम्बन्ध में आगे अनुसंधान नहीं करने की बात को नहीं माना जावेगा। यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा कोई मौखिक या लिखित साक्ष्य आगे प्राप्त किया जाता है तो उस साक्ष्य के सम्बन्ध में वह अतिरिक्त आगामी प्रतिवेदन या प्रतिवेदनों को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

निदेशक प्रवर्तन द्वारा समस्त ई.पी.एफ. अधिकारियों को ऐसे बकाया एस.आर. प्रकरण जिनमें सी.आर.पी.सी. की धारा 173(8) के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई हो का आगामी जांच पूर्ण करने का निर्देश जारी किये (25 मई 2009) थे।

चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा संधारित 'अभियोग रजिस्टरों' और पंजीकृत प्रकरणों की पत्रावलियों की मापक जांच में यह देखा गया कि प्रकरण बिना गहराई से अनुसंधान किये केवल सामान्य प्रक्रियानुसार तैयार किये गये। जैसा कि पूर्व पैरा 6.8.4.4 में वर्णित किया गया कि अधिकतम मामले इस प्रकार के थे, जिनमें बहुत कम मात्रा में अवैध मदिरा/हथकड़ शराब पकड़ी गयी।

न्यायालय में विचाराधीन पंजीकृत प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावलियां लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवायी गई। चार सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय की 20 पत्रावलियों (भरतपुर-8, धौलपुर-3, जयपुर ग्रामीण-4 एवं जयपुर शहर-4) जिनमें न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय दिया गया था कि समीक्षा से प्रकट हुआ कि ई.पी.एफ. कार्मिकों द्वारा अपराधियों से इस बात की जांच करने कि उन्हें ऐसी मदिरा की आपूर्ति किस स्रोत से की गयी थी, का प्रयत्न नहीं किया गया और अनुसंधान प्रतिवेदन केवल इस निष्कर्ष के साथ समाप्त कर दिया गया कि दोषी व्यक्ति के पास अवैध मदिरा/हथकड़ मदिरा पायी गयी थी। अधिकतम दर्ज प्रकरणों में जब्ती की मात्रा बहुत कम थी। इन समस्त प्रकरणों का न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्णय दोषी व्यक्ति द्वारा अपराध की स्वीकारोति, पर अभियोग लागत जो कि ₹ 200 और ₹ 5,000 के मध्य थी, के भुगतान करने पर और

भारतीय अपराधी और परीवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 और 5 का लाभ देते हुए प्रकरण को गम्भीरता के आधार पर ₹ 5,000 से ₹ 10,000 तक की जमानत या मुचलका प्रस्तुत करने पर एक मे तीन वर्ष की परिवीक्षा के आधार पर किया गया। वर्ष 2012 के अन्तर्गत पांच सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों में अन्तिम निर्णय हेतु बकाया प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय का नाम	भरतपुर	धौलपुर	करौली	जयपुर शहर	जयपुर ग्रामीण
अन्तिम निर्णय हेतु बकाया प्रकरणों की संख्या	181	122	107	2,694	448

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि 5 सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित ई.पी.एफ. स्टेशनों पर वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 27 पंजीकृत प्रकरण (अजमेर-16, बारां-2, भीलवाड़ा-2, झालावाड़-4 एवं श्रीगंगानगर-3) सी.आर.पी.सी. की धारा 173(8) के अन्तर्गत बकाया थे, जिनमें अनुसंधान पूर्ण करने के बाद जांचकर्ता अधिकारी द्वारा अपना प्रतिवेदन सी.आर.पी.सी. की धारा 173(2) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और प्रकरणों को अग्रिम जांच/साक्ष्य जुटाने हेतु खुला रखने की अनुमति उच्च अधिकारियों से प्राप्त की गई थी। तथापि, जांचकर्ता अधिकारियों द्वारा एक से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी इनके आगे अनुसंधान नहीं किया गया।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उनका उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

ई.पी.एफ. अधिकारियों द्वारा अपने अनुसंधान के दौरान कथित अपराधियों को आपूर्ति की गई अवैध मदिरा के स्रोत की पहचान करने की जांच की जानी चाहिए।

6.8.4.6 चैक पोस्ट

विभाग द्वारा मादक पदार्थों के अवैध परिवहन को रोकने हेतु राज्य के विभिन्न प्रवेश बिन्दुओं/सीमा क्षेत्रों पर टैन्ट के रूप में 30 अस्थायी चैक पोस्ट स्थापित किये गये। यह देखा गया कि राज्य की सीमायें विभिन्न मार्गों से जुड़ी हुई थी, तथापि, ये अस्थायी ढांचे एक ही स्थान पर बने रहे। चैक पोस्ट अथवा प्रहराधिकारी/सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालयों पर ऐसे कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जो यह दर्शाते कि चैक पोस्ट की अवस्थिति के अतिरिक्त अन्य विभिन्न मार्गों पर नियमित गश्त/नाकाबन्दी की गई थी।

चयनित इकाईयों के 12 चैक पोस्टों के अभिलेखों की मापक जॉंच के दौरान यह पाया गया कि वहाँ केवल कार्मिकों की उपस्थिति रजिस्टरों का ही संधारण किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख यथा चैक पोस्ट के रास्ते गुजरने वाले मादक पदार्थों के वाहनों के विवरण की प्रविष्टियों से सम्बन्धित रजिस्टरों, कार्मिकों की गतिविधियों की पंजिका, सम्बन्धित प्रहराधिकारी द्वारा चैक पोस्ट के लिए की गई यात्रा से सम्बन्धित रजिस्टरों, उच्च प्राधिकारियों द्वारा चैक

पोस्ट के निरीक्षण के रजिस्टरों इत्यादि चैक पोस्ट पर संधारित नहीं थे। इस प्रकार के अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा इस स्थिति में नहीं थी कि चैक पोस्ट की कार्यप्रणाली पर विस्तृत टिप्पणी की जा सके।

यह भी पाया गया कि चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों पर अन्य राज्यों की अवैध शराब रखने से सम्बन्धित 241 प्रकरण वर्ष 2010-11 में एवं 165 प्रकरण वर्ष 2011-12 में पंजीकृत किये गये थे जो यह दर्शाते है कि चैक पोस्टों, ई.पी.एफ. स्टेशनों, आबकारी वृत्त कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों इत्यादि को बचाकर पूरे राज्य में अन्य राज्यों की मदिरा की आपूर्ति उपलब्ध थी। यह तस्करी के नियन्त्रण में चैक पोस्ट एवं ई.पी.एफ. स्टेशनों के कार्मिकों की लापरवाही एवं निष्क्रियता को दर्शाता है अथवा ई.पी.एफ. का सूचना तन्त्र कमजोर था। चैक पोस्ट के निष्पादन की जाँच और मूल्यांकन हेतु कोई प्रभावी तन्त्र विद्यमान नहीं था।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.7 ई.पी.एफ. स्टेशनों पर मानव शक्ति की समस्या

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के 141 कार्यशील ई.पी.एफ. स्टेशनों पर स्वीकृत एवं कार्यरत पद संख्या की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि विभाग के केवल 23 प्रहराधिकारियों का पदस्थापन किया गया था, जबकि 44 प्रहराधिकारी पुलिस विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये गये थे और 74 प्रहराधिकारियों का कार्यभार नजदीकी स्टेशनों के प्रहराधिकारियों अथवा आबकारी निरीक्षकों को उनके नियमित कार्यभार के अतिरिक्त दिया गया था, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

वर्ष 2011-12 के दौरान	ई.पी.एफ. स्टेशनों की संख्या	ई.पी.एफ. स्टेशनों की संख्या जहाँ प्रहराधिकारियों का पदस्थापन था			बिना प्रहराधिकारियों अथवा अतिरिक्त कार्यभार के साथ संचालित ई.पी.एफ. स्टेशनों की संख्या
		ई.पी.एफ.	पुलिस	योग	
राज्य में कार्यरत कुल ई.पी.एफ. स्टेशन	141	23	44	67	74
लेखापरीक्षा हेतु चयनित ई.पी.एफ. स्टेशन	52	10	14	24	28

ई.पी.एफ. स्टेशनों पर नियमित प्रहराधिकारियों के पदस्थापन के अभाव में, गश्त एवं छापों का कार्य अत्यधिक प्रभावित हुआ। यह देखा गया कि बिना नियमित प्रहराधिकारी के पदस्थापन के ई.पी.एफ. स्टेशनों पर प्रकरणों के पंजीकरण की संख्या नगण्य थी। इसके अलावा ऐसे ई.पी.एफ. स्टेशनों पर पदस्थापित कार्मिक, नियमित प्रहराधिकारी के बिना उचित मार्गदर्शन/शक्तियाँ न होने के कारण, निष्क्रिय रहते थे।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.4.8 ई.पी.एफ. कार्मिकों को अपर्याप्त प्रशिक्षण

ई.पी.एफ. कार्मिकों को आर.ई. अधिनियम/नियम, सी.आर.पी.सी., भारतीय दण्ड् संहिता, एन.डी.पी.एस. अधिनियम/नियम इत्यादि का विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक था। प्रवर्तन निदेशालय एवं आबकारी आयुक्त (ई.सी.) कार्यालय के बजट आवंटन और व्यय विवरण की समीक्षा में यह देखा गया कि प्रवर्तन निदेशालय/आबकारी आयुक्त, राजस्थान द्वारा प्रशिक्षण शीर्ष में वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक कोई आवंटन नहीं किया गया था। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 प्रत्येक वर्ष ₹ 1,000 का आवंटन किया गया जिसका भी उपयोग प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु नहीं किया गया था।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

6.8.5 ई.पी.एफ. स्टेशनों के सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी अधिकारी का कमजोर नियन्त्रण

प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन की समस्त गतिविधियों से सम्बन्धित दैनिक एवं मासिक प्रतिवेदनों की उपलब्धता के बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य का मूल्यांकन नहीं किया गया। यह देखा गया कि मासिक प्रतिवेदन नैमित्तिक रूप से तैयार किये जा रहे थे और उन्हें ई.पी.एफ. स्टेशनों से सहायक आबकारी कार्यालय से होते हुए जोन कार्यालय से आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाता था। इन प्रतिवेदनों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया। निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना न किये जाने पर कारणों का पता लगाने के लिए सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी (मई 2011) निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ई.पी.एफ. स्टेशन का आबकारी अधिकारियों द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण एवं सहायक आबकारी अधिकारियों द्वारा मासिक निरीक्षण करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त राजस्थान के आदेश दिनांक 7 मई 2010 के अनुसार, अतिरिक्त आयुक्त (ए.सी.) आबकारी जोन को अपने क्षेत्राधिकार में सहायक आबकारी कार्यालय का वार्षिक एवं 25 प्रतिशत ई.पी.एफ. स्टेशनों का निरीक्षण करना था। तथापि, यह देखा गया कि 52 ई.पी.एफ. स्टेशन व 17 सहायक आबकारी कार्यालय में से वर्ष

2011-12 में निम्नानुसार निरीक्षण किया गया:

क्र.सं.	निरीक्षण जिनके द्वारा किया गया	सहायक आबकारी कार्यालय		ई.पी.एफ. स्टेशन	
		मानकों के अनुसार निरीक्षणों की संख्या	वास्तव में किये गये निरीक्षणों की संख्या	मानकों के अनुसार निरीक्षणों की संख्या	वास्तव में किये गये निरीक्षणों की संख्या
1	अतिरिक्त आयुक्त द्वारा	17	8	13	24
2	आबकारी अधिकारी द्वारा	17	शून्य	208	6[6]
3	सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा	–	–	624	8[7]

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि निर्धारित लक्ष्यों 208 व 624 ई.पी.एफ. स्टेशनों के विरूद्ध वर्ष 2011-12 में, आबकारी अधिकारी व सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा क्रमशः 6 और 8 निरीक्षण मात्र प्रत्येक के द्वारा किये गये। इसके अतिरिक्त 9 सहायक आबकारी कार्यालय का वर्ष 2011-12 में निरीक्षण नहीं हुआ।

यह भी देखा गया कि ई.पी.एफ. स्टेशनों पर संधारित रजिस्टरों का सहायक आबकारी अधिकारी/आबकारी अधिकारियों द्वारा मासिक/त्रैमासिक निरीक्षण नहीं किया गया था। यद्यपि, इनका सम्बन्धित सहायक आबकारी अधिकारी द्वारा मासिक एवं आबकारी अधिकारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण किया जाना और इस सम्बन्ध में ई.पी.एफ.सी. रजिस्टरों में निरीक्षण नोट अंकित किया जाना चाहिए था।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

[6] अजमेर ग्रामीण, केकड़ी, ब्यावर, बारां, झालावाड़ और नौखा ई.पी.एफ. स्टेशन।

[7] अजमेर ग्रामीण, आबू रोड़, भीलवाड़ा शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, भवानीमण्डी, दूदू और कोटपुतली ई.पी.एफ. स्टेशन।

6.8.6 ई.पी.एफ. स्टेशनों एवं पुलिस विभाग के मध्य समन्वय का अभाव

आबकारी नियमावली 1988 के अनुसार, यह आवश्यक है कि पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा आबकारी एवं अफीम अपराधों की खोज एवं अनुसंधान का कार्य मिलकर किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा राज्य में अवैध मदिरा एवं मादक पदार्थों के व्यापार के विरूद्ध नियमित कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना दिनांक 23 दिसम्बर 2008 को जारी की गई, जो कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भी प्रभावी थी। कार्य योजना का उद्देश्य पुलिस, ई.पी.एफ. एवं आबकारी अधिकारियों के मध्य समन्वय बढ़ाना था। राज्य सरकार की कार्य योजना के अनुसार, पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी, ई.पी.एफ. के सक्षम अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के बीच दो संयुक्त मीटिंग प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को आयोजित की जानी थी जिसमें समन्वित कार्यवाही की योजना बनानी थी। इस प्रकार की मीटिंग का बिन्दुवार कार्यवृत्त सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों (डी.ई.ओज.), प्रहराधिकारियों एवं पुलिस वृत्त अधिकारियों को प्रेषित करना था। प्रत्येक जिले के जिला आबकारी अधिकारियों एवं ई.पी.एफ. के आबकारी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस पर, पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा करनी थी।

चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों के अभिलेखों की मापक जाँच में यह देखा गया कि संवेदनशील क्षेत्रों में संयुक्त कार्यवाही अथवा गश्त करने के उद्देश्य से पुलिस और आबकारी वृत्त कार्यालयों के बीच अवैध मदिरा के संवेदनशील स्थानों एवं आदतन अपराधियों से सम्बन्धित सूचनाओं के साझा करने अथवा आदान-प्रदान करने की कोई व्यवस्था ई.पी.एफ. स्टेशनों में नहीं थी। ई.पी.एफ. स्टेशनों पर उपरोक्त मीटिंग से सम्बन्धित न तो कोई सूचना और न ही कोई कार्यवृत्त का संधारण करना पाया गया।

परिणामत: दोनों एजेन्सी एक ही उद्देश्य पर अलग-अलग तौर पर कार्यरत थी। राज्य में पुलिस विभाग द्वारा पंजीकृत आबकारी अभियोगों की संख्या ई.पी.एफ. स्टेशनों की तुलना में बहुत अधिक थी जो ई.पी.एफ. स्टेशनों की कार्य प्रणाली की कार्यकुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य में आर.ई./एन.डी.पी.एस. अधिनियमों एवं नियमों के उल्लंघन के

फलस्वरूप पंजीकृत प्रकरणों की संख्या दर्शाती है:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
पुलिस विभाग द्वारा पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	10,134	11,473	13,331	12,852	13,532	14,026
ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	5,970	7,577	7,131	7,009	7,439	11,076[8]

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रकरणों की खोज एवं पंजीकरण की दिशा में पुलिस विभाग अधिक सक्रिय था, जबकि ई.पी.एफ. स्टेशनों का प्रदर्शन कमजोर था। आगामी तालिका वर्ष 2010-12 के दौरान 4 सहायक आबकारी कार्यालयों के 13 ई.पी.एफ. स्टेशनों तथा उसी क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशनों द्वारा पंजीकृत प्रकरणों की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है:

क्र. सं.	सहायक आबकारी अधिकारी कार्यालय का नाम	चयनित ई.पी.एफ. स्टेशनों की संख्या	वर्ष 2010-12 के दौरान पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	
			ई.पी.एफ. स्टेशनों में	पुलिस स्टेशनों में
1	भरतपुर	4	133	696
2	धौलपुर	2	65	352
3	करौली	4	46	98
4	जयपुर शहर	3	509	782
योग		13	753	1,928

राज्य में प्रतिवर्ष पुलिस एवं ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा इतनी अधिक संख्या में प्रकरणों का पंजीकरण यह प्रकट करता है कि राज्य में मदिरा एवं अन्य मादक प्रदार्थों के अवैध परिवहन का विस्तृत तन्त्र था जिसे नियन्त्रित करने में विभाग असफल रहा।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) रहा।

विभाग को आबकारी अपराधों पर नियन्त्रण हेतु पुलिस विभाग से सूचनाओं को आदान-प्रदान या साझा करने हेतु कार्यप्रणाली विकसित करनी चाहिए।

[8] विभाग के वृत्त कार्यालय में पंजीकृत प्रकरण भी सम्मिलित है।

6.8.7 नवजीवन योजना

आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2009-10 के अनुसार, राज्य के ग्रामीण एवं उपनगरीय क्षेत्रों के ऐसे परिवारों/समुदायों जो परम्परागत रूप से अवैध मदिरा के निर्माण एवं विक्रय में लिप्त थे, के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वासन हेतु राज्य सरकार ने एक स्कीम 'नवजीवन योजना' शुरू की। सरकार ने इस प्रकार के परिवारों के पुनर्वासन हेतु, जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के उपरान्त भी वे अपने आपको अवैध मदिरा व्यवसाय से हटा नहीं सके, 'नवजीवन योजना' स्कीम के माध्यम से आबकारी राजस्व का एक प्रतिशत खर्च करने का निर्णय लिया। इस स्कीम की क्रियान्विति वर्ष 2011-12 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एस.जे.ई.डी.) के माध्यम से की जानी थी।

जयपुर दक्षिण ई.पी.एफ. स्टेशन पर वर्ष 2010-12 के दौरान पंजीकृत प्रकरणों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 233 (कुल 270 प्रकरणों में से) अवैध मदिरा से सम्बन्धित प्रकरणों में से 185 प्रकरण परम्परागत रूप से अवैध मदिरा के निर्माण एवं विक्रय में लिप्त एक विशेष समुदाय की औरतों के विरूद्ध (185 प्रकरण) पंजीकृत किये गये थे और उनमें से कुछ के विरूद्ध पहले से ही 2 से 6 प्रकरण दर्ज थे। तथापि, यह देखा गया कि ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा उनके नाम, एस.जे.ई.डी. द्वारा उनके पुनर्वासन हेतु, अग्रेषित नहीं किये गये। ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा अवैध मदिरा निर्माण एवं विक्रय में व्यक्तियों/समुदायों की लगातार लिप्तता को रोकने हेतु भी कोई प्रयास नहीं किया गया।

यह भी देखा गया कि यद्यपि, 'नवजीवन योजना' हेतु आबकारी राजस्व का एक प्रतिशत का प्रावधान किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा वर्ष 2010-12 में राशि ₹ 54.10 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 18.71 करोड़ उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त, यह भी पता चला कि ₹ 18.71 में से मात्र ₹ 7.98 करोड़ उपयोग में लिए गये।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान 34 सहायक आबकारी अधिकाररियों में से 18 में किसी भी व्यक्ति को इस स्कीम के तहत लाभ नहीं पहुँचाया गया। अवैध मदिरा निर्माण एवं विक्रय में लिप्त व्यक्तियों/समुदायों को उपलब्ध करवाये गये लाभ का विस्तृत विवरण एस.जे.ई.डी. द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

मामले को विभाग और सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2013 और जनवरी 2014); उत्तर प्रतीक्षित रहा (फरवरी 2014)।

ई.पी.एफ. स्टेशनों द्वारा अवैध मदिरा के व्यापार में परम्परागत रूप से लिप्त व्यक्तियों के नाम, उनके पुनर्वासन हेतु, एस.जे.ई.डी. को प्रेषित करने चाहिए।

6.8.8 निष्कर्ष

यह देखा गया कि ई.पी.एफ. स्टेशनों के कार्मिकों द्वारा गश्त और छापों में विभेद नहीं करने मूवमेन्ट रजिस्टर में की गई सभी प्रविष्टियों को ई.पी.एफ. स्टेशन द्वारा की गई गश्त के रूप में उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। मूवमेन्ट रजिस्टरों एवं लॉग-बुक में छापों की अशुद्ध प्रविष्टियाँ की गई थी और इस प्रकार के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता एवं वास्तविकता की जाँच हेतु कोई नियन्त्रण प्रणाली नहीं थी। चयनित 48 ई.पी.एफ. स्टेशनों (52 में से) के प्रहराधिकारी द्वारा प्रकरणों की खोज एवं पंजीकरण के अपने लक्ष्य, यथा 120 प्रकरण प्रतिवर्ष को प्राप्त नहीं किया जा सका। एस.आर. प्रकरणों के सम्बन्ध में ई.पी.एफ. स्टेशनों का निष्पादन निराशाजनक था और वर्ष 2010-12 की अवधि में दर्ज कुल प्रकरणों की तुलना में एस.आर. प्रकरणों का प्रतिशत 1.64 और 13.88 के मध्य था। इस प्रकार, ई.पी.एफ. स्टेशनों पर दर्ज किये गये अधिकांश प्रकरण कम मात्रा की जब्ती के साधारण प्रतिवेदन के प्रकरण थे। विभाग द्वारा राज्य में अवैध मदिरा के उत्पादन, संग्रहण एवं विक्रय से सम्बन्धित संवेदनशील क्षेत्रों की सूची की समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिये जाँच नहीं की गई कि वे वास्तव में निरन्तर संवेदनशील बने हुये हैं जाँचकर्ता अधिकारियों द्वारा एक से पाँच वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने पर भी अनुसंधान पूर्ण नहीं किया गया। चैक पोस्ट के कार्यकलाप का मूल्यांकन करने हेतु कोई नियन्त्रण प्रणाली विद्यमान नहीं थी। राज्य पुलिस विभाग के साथ अवैध मदिरा के संवेदनशील स्थानों एवं आदतन अपराधियों से सम्बन्धित सूचनाओं के साझा अथवा आदान-प्रदान करने की कोई व्यवस्था ई.पी.एफ. स्टेशनों में उपलब्ध नहीं थी।

अवैध मदिरा के आसवन एवं विक्रय, अफीम, एल.पी.एच. तथा दूसरे मादक पदार्थो की तस्करी की मात्रा अत्यधिक थी और ई.पी.एफ. अपने कार्यो को प्रभावकारी रूप से करने में असफल रहा।

6.9 अन्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

अभिलेखों की मापक जांच में कुछ प्रकरण आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली के पाये गये, जिन्हें इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में दर्शाया गया है। इनमें से कुछ कमियां पिछले वर्षों में दर्शायी गयी थी तथापि, न केवल अनियमिततायें विद्यमान थी किन्तु आगामी लेखापरीक्षा किये जाने तक इनका पता नहीं लगा। यह कुछ निदर्शी प्रकरण है जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों की मापक जांच पर आधारित है। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने सहित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

6.10 अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों की पालना नहीं करना

राजस्थान आबकारी अधिनियम तथा नियमों में निम्न लिखित प्रावधान है:

(अ) निर्धारित दर से ब्राण्ड फीस का आरोपण करना;

(ब) निर्धारित दर से स्पेशल वेण्ड फीस का आरोपण करना; तथा

(स) गन्तव्य स्थान पर न पहुँची बीयर पर आबकारी शुल्क का आरोपण करना।

यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा पैराग्राफ 6.10.1 से 6.10.3 मे दर्शाये प्रकरणों में उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

6.10.1 ब्राण्ड फीस की वसूली का अभाव

राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक एवं खुदरा विक्रय हेतु लाइसेंस) नियम, 1982 के नियम 3(2) के अनुसार जिन इकाईयों के बान्डेड भण्डागार राजस्थान में स्थित नहीं है, उनसे राज्य में आयातित भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आर.एम.एफ.एल.)/बीयर पर प्रत्येक ब्राण्ड हेतु राशि ₹ 50,000 की दर से ब्राण्ड फीस वसूल की जायेगी। अधिसूचना क्रमांक एफ.4(85)एफडी/ आब/2003 दिनांक 19 फरवरी 2004 (1 अप्रेल 2004 से प्रभावी) द्वारा वाईन, रैडी-टू-ड्रिंक (आर.टी.डी.) मदिरा एवं अन्य देशों में भरी विदेशी मदिरा (बोटल्ड- इन-ओरिजिन या बी.आई.ओ. के नाम से प्रचलित) के सम्बन्ध में आई.एम.एफ.एल. एवं बीयर के थोक अनुज्ञाफीस के भुगतान में ₹ 10,000 से अधिक राशि की छूट दी गई।

जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा मैसर्स राजस्थान राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) को वर्ष 2011-12 में अन्य राज्यों से विभिन्न ब्राण्ड की भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन आयात करने हेतु जारी 1,002 परमिटों की संवीक्षा में पाया गया (दिसम्बर 2012 और अक्टूबर 2013) कि मैसर्स आर.एस.बी.एम.सी.एल. द्वारा जिसके पास आई.एम.एफ.एल/बीयर/ वाईन/आर.टी.डी./बी.आई.ओ. को आयातित करने हेतु होलसेल बिक्री हेतु व्यक्तिगत अनुज्ञापत्र था, द्वारा 56 ब्राण्ड आई.एम.एफ.एल./बीयर के व 102 ब्राण्ड वाईन/ बी.आई.ओ. के, विभिन्न राज्यों से अपने डिपो के लिये वर्ष 2011-12 में आयात किये गये। विभाग द्वारा राशि ₹ 28.00 लाख आई.एम.एफ.एल./बीयर पर तथा राशि ₹ 10.20 लाख वाईन/बी.आई.ओ. पर ब्राण्ड फीस वसूल नहीं की गयी।

जब (जनवरी व नवम्बर 2013 के मध्य) अवगत कराया गया तो सरकार द्वारा (फरवरी 2014) में बताया गया कि राजस्थान आबकारी नियमावली, 1956 के नियम 69(3) के अन्तर्गत ब्राण्ड फीस वसूल की जा रही है। उत्तर में आगे बताया गया कि राजस्थान विदेशी मदिरा नियम, 1982 के नियम 3(2) के अब तक विलोपित न किये जाने से यह संशय उठा है, जिसके विलोपन की कार्यवाही सरकार के पास विचाराधीन है।

तथ्य यह है कि राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक एवं खुदरा विक्रय हेतु लाइसेंस) नियम, 1982 के नियम 3(2) सम्बन्धित अवधि में लागू होने के कारण ब्राण्ड फीस ₹ 38.20 लाख आरोपणीय व वसूल योग्य थी।

6.10.2 वेण्ड फीस का अनारोपण

राजस्थान आबकारी (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 69 के उप नियम (6) (1 अप्रेल 2011 से प्रभावी किया गया) के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एफ.एम. एल.) और भारत निर्मित बीयर की रिटेल ऑफ बिक्री पर क्रमश: ₹ 10 और ₹ 5 प्रति बल्क लीटर की दर से स्पेशल वेण्ड फीस देय है।

जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर और बीकानेर के अभिलेखों की मापक जांच में (अगस्त और दिसम्बर 2012 के मध्य) पाया गया कि केन्टीन स्टोर डिपार्टमेन्ट (सी.एस.डी.) के होलसेल डिपो जो कि जयपुर और बीकानेर में स्थित है के द्वारा वर्ष 2011-12 में ₹ 67.98 लाख बल्क लीटर आई.एम.एफ.एल. और ₹ 6.88 लाख बल्क लीटर बीयर का रिटेल ऑफ में अनुज्ञाधारियों को (इकाईयां जो केन्टीन की तरह चल रही है) विक्रय किया गया। जबकि आई.एम.एफ.एल. पर स्पेशल वेण्ड फीस राशि ₹ 6.80 करोड़ और बीयर पर राशि ₹ 0.34 करोड़ सी.एस.डी. द्वारा न तो जमा कराई गई न ही विभाग द्वारा मांगी गयी। परिणामस्वरूप राशि ₹ 7.14 करोड़ स्पेशल वेण्ड फीस की अवसूली रही।

मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया गया (सितम्बर 2012 और अक्टूबर 2013 के मध्य)। विभाग द्वारा (अक्टूबर 2013) अवगत कराया कि 5 नवम्बर 2012 से लगातार वसूली की जा रही है। पिछले वर्षो की वसूली से सम्बन्धित मामला का परीक्षण किया जा रहा है। अग्रिम प्रगति प्रतीक्षित थी (फरवरी 2014)।

6.10.3 गन्तव्य स्थान पर सुपुर्द नहीं हुई बीयर पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 41 के अनुसार ब्रेवरी से कोई भी बीयर की मात्रा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 28 के अन्तर्गत देय आबकारी शुल्क जमा कराये बिना नहीं भेजी जा सकेगी अथवा धारा 18 के अनुसार राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली बीयर के मामलों में बोण्ड का निष्पादन कर निर्यात की जावेगी। बोण्ड की शर्त संख्या (2) में यह प्रावधान किया गया है कि बोण्ड में दर्शायी बीयर की मात्रा उसके निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाती है अथवा कम पहुँच पाती है, तो ब्रेवर द्वारा, नहीं पहुँची मात्रा अथवा कम मात्रा पर, देय आबकारी शुल्क देय होगा।

जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों अलवर व बहरोड़ के अन्तर्गत पांच ब्रेवरी[9] के वर्ष 2010-11 व 2011-12 के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि राज्य के बाहर बोण्ड के अन्तर्गत भेजी 1.32 लाख बल्क लीटर (16,233 कार्टन) बीयर सन्निहित आबकारी शुल्क राशि ₹ 55.27 लाख की सुपुर्दगी गन्तव्य स्थान पर नहीं की गयी। ब्रेवरी द्वारा ना तो इस सम्बन्ध में आबकारी शुल्क जमा कराया गया ना ही विभाग द्वारा मांग की गयी। परिणामस्वरूप राज्य आबकारी शुल्क राशि ₹ 55.27 लाख की वसूली का अभाव रहा।

अवगत कराये जाने के बाद (अक्टूबर 2012 से अक्टूबर 2013) विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2013) कि राशि ₹ 22.30 लाख की वसूली की जा चुकी है और बकाया प्रकरणों पर वसूली हेतु कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

[9] मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा. लि., अलवर, मैसर्स यूनाईटेड ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी, मैसर्स रोचिज ब्रेवरीज लि., नीमराना, मैसर्स माउण्ट शिवालिक इण्डिया प्रा. लि., बहरोड़ और मैसर्स दीवान मोर्डन ब्रेवरीज लि., बहरोड़।